

आपको आपके नियोक्ता के माध्यम से गैर-लाभ संस्थाओं में अंशदान करने का अधिकार है


NYC's Fast Food Deductions Law (NYC के फास्ट फूड कटौती कानून) के तहत फास्ट फूड नियोक्ताओं को कर्मचारी द्वारा NYC उपभोक्ता मामलों का विभाग (DCA) से रजिस्ट्रेशन पत्र प्राप्त किसी गैर-लाभ संस्था को भुगतान के लिए उनके वेतन से स्वैच्छिक कटौती के अनुरोध को स्वीकार करना होगा। नियोक्ताओं को इस नोटिस को प्रत्येक NYC कार्यस्थल पर ऐसे स्थान पर अवश्य लगाना होगा जहाँ कर्मचारी इसे आसानी से देख सकें।

कानून के अंतर्गत आने वाले फास्ट फूड कामगार

ऐसे कर्मचारी जो NYC में किसी फास्ट फूड संस्थान में निम्नलिखित में से कम से कम कोई एक कार्य करते हों:

- ग्राहक सेवा
- खाता बनाना
- खाता या पेय तैयार करना
- कार्यस्थल से परे सुपुर्दगी
- सुरक्षा
- आपूर्ति या उपकरणों की स्टॉकिंग
- सफाई
- दैनिक रखरखाव कर्तव्य

यह कानून प्रवास की स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी पर लागू होता है।



नियोक्ता कर्मचारियों को इस प्रकार दंडित नहीं कर सकते, जुर्माना नहीं लगा सकते, प्रतिशोध नहीं ले सकते या उनके विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते जो कर्मचारियों को इस कानून के तहत उनके अधिकारों का प्रयोग करने से रोके या विचलित करे। कामगारों को ऐसे प्रतिशोध के संबंध में **OLPS** से तुरंत सम्पर्क करना चाहिए। नीचे देखें।

आपके अधिकार



किसी गैर-लाभ संस्था में स्वैच्छिक कटौतियों तथा अंशदानों को प्राधिकृत करें

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका नियोक्ता आपके वेतन से कटौती कर रहा है और किसी गैर-लाभ संस्था में अंशदान दे रहा है, उस गैर-लाभ संस्था को आपके द्वारा आपके नियोक्ता को लिखित प्राधिकार फॉर्म अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें:

- आपके हस्ताक्षर हों
- आपका नाम और पता हो
- राशि, बारंबारता और अंशदान शुरू किए जाने की तारीख का उल्लेख हो
- गैर-लाभ संस्था का नाम, पता और सम्पर्क सूचना हो
- यह घोषणा की गई हो कि कटौतियाँ और अंशदान स्वैच्छिक हैं और इन्हें किसी भी समय रोका जा सकता है

आपके नियोक्ता को लिखित प्राधिकार प्राप्त होने के 15 दिन बाद दिए जाने वाले पहले वेतन की अवधि में या इससे पहले कटौतियाँ अवश्य शुरू करनी चाहिए। आपके नियोक्ता को प्रति सप्ताह \$3 से कम की कटौतियाँ या प्रति वेतन अवधि में एक से अधिक बार कटौतियाँ नहीं करनी होंगी।

आपके नियोक्ता को:

- यदि आप आपके नियोक्ता को लिखित प्राधिकार-पत्र देते हैं, तो उसे गैर-लाभ संस्था को आपका लिखित प्राधिकार-पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के अंदर इसकी एक प्रति देनी होगी।
- आपके वेतन विवरण में कटौतियों को नोट करना होगा।

आपका नियोक्ता:

- आपके प्राधिकार-पत्र के बिना कटौतियाँ नहीं कर सकता।
- आपसे कटौतियों के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं कर सकता।



प्राधिकार-पत्र को रद्द करें

स्वैच्छिक कटौतियों तथा अंशदानों को रोकने के लिए आपको गैर-लाभ संस्था को कटौती तथा अंशदान बंद किए जाने की लिखित जानकारी देनी होगी जो अंशदान बंद किए जाने की इस लिखित सूचना को आपके नियोक्ता को भेजेगी। आपके नियोक्ता को गैर-लाभ संस्था से अंशदान बंद किए जाने की लिखित सूचना प्राप्त होने के 15 दिन बाद पहले वेतन की अवधि को या इससे पहले कटौतियाँ अवश्य बंद कर देनी चाहिए।



गैर-लाभ संस्था के बारे में सूचना प्राप्त करें

गैर-लाभ संस्था द्वारा आपको निम्नलिखित जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए:

- प्राधिकार-पत्र तथा अंशदान बंद किए जाने संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पता, ई-मेल, वेबसाइट (यदि कोई हो), फोन नंबर और सम्पर्क सूचना
- लक्ष्य, कार्यक्रम और कार्य के क्षेत्र
- \$100,000 से अधिक आय वाले ऐसे व्यक्तियों, जो गैर-लाभ संस्था के कर्मचारी थे या हैं, सहित अधिकारियों और निदेशकों की सूची
- वित्तीय जानकारी
- लाभ-के लिए-सक्रिय नहीं स्थिति का प्रमाण

किसी गैर-लाभ संस्था द्वारा आपको गलत या भ्रामक जानकारी देना गैर-कानूनी है।

श्रम संगठन अंशदान की मांग नहीं कर सकते। आपके द्वारा किसी गैर-लाभ संस्था को अंशदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर उस गैर-लाभ संस्था को आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

श्रम संगठनों को अंशदान:

राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम (National Labor Relations Act) द्वारा परिभाषित श्रम संगठनों, सिविल सेवा कानून की धारा 201 के उप-खंड 5 में परिभाषित कर्मचारी संगठनों और श्रम कानून की धारा 701 के उप-खंड 5 में परिभाषित श्रम संगठनों को धारा 20-1310 के उप-खंड बी (2017 का स्थानीय कानून 98) के अनुसरण में इस अध्याय के तहत धन की मांग करने की अनुमति नहीं है।

शिकायत दर्ज करवाएं

उपभोक्ता मामलों का विभाग श्रम नीति एवं मानक कार्यालय (Department of Consumer Affairs Office of Labor Policy & Standards (OLPS)) उचित कार्य सप्ताह कानून और अन्य NYC श्रम कानून लागू करता है।

OLPS में शिकायत दर्ज करवाने के लिए, nyc.gov/dca पर जाएं या **311** पर सम्पर्क करें (NYC से बाहर 212-NEW-YORK) और "Deductions Law" के संबंध में जानकारी लें। OLPS जाँच करेगा और आपकी शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगा। **OLPS** तब तक आपकी पहचान को गोपनीय रखेगा जब तक कि जाँच पूरी करने के लिए या कानून के तहत इसे प्रकट करना अनिवार्य न हो।

आप न्यायालय में भी मामला दर्ज करा सकते हैं। फिर भी, आप एक ही समय में OLPS में शिकायत और न्यायालय में दावा एक साथ नहीं कर सकते।

OLPS से सम्पर्क करें

nyc.gov/dca पर जाएं, Fww@dca.nyc.gov पर ई-मेल करें या **311** पर सम्पर्क करें और "Deductions Law" के बारे में जानकारी प्राप्त करें।